Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में एनडीपीएस एक्ट की आरोपी सजो उर्फ साजिदा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 04 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

श्री दिनेश कुमार शर्मा एडीजीसी जनपद बागपत

मुख्य आरक्षी नीटू कुमार कोर्ट पैरोकार थाना बडौत

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्ता सजो उर्फ साजिदा पत्नी वकील निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा 05 किलोग्राम गांजा की तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1237/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.06.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्ता को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

X @baghpatpolice   Instagram baghpatpolice   Facebook Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनाँक 24.06.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 75/2026 धारा 109/352/351(3)/131/127(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त 01 तलवार, 01 सेन्ट्रो कार नं0 DL7 CL 8485 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.06.2026 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री इकरेन्द्र पुत्र बलजोर निवासी ग्राम ढिकौली, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. अमित पुत्र सुरेन्द्र एवं 2. रविन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासीगण ग्राम ढिकौली, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत द्वारा वादी तथा उसके भाई संजीव उर्फ बिट्टू का रास्ता रोककर जान से मारने की नीयत से तलवार एवं तमंचे से हमला किया गया। वादी के अनुसार अभियुक्त अमित द्वारा दिनभर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी जाती रही। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 75/2026 धारा 109/352/351(3)/131/127(2) बीएनएस व 4/25 A Act किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 75/2026 धारा 109/352/351(3)/131/127(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त अमित को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तलवार व सेन्ट्रो कार नं0 **DL7 CL 8485** बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अमित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर बागपत उम्र करीब **40** वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तलवार,
- **01** सेन्ट्रो कार नं0 **DL7 CL 8485**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार – थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2.है0का0 **349** नरेन्द्र कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
3.का0 **1023** गणेश कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 24.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 399/26 धारा 75(2)/351(2) बीएनएस व 9m/10 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 399/26 धारा 75(2)/351(2) बीएनएस व 9m/10 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त साकीब को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की उर्फ विक्रम पुत्र राजपाल सिंह निवासी कस्बा टटीरी थाना व जिला बागपत उम्र 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आलोक तोमर थाना बागपत जनपद बागपत।

2-का0 369लवकुश थाना बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट जपनद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 24.06.2026**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 181/26 धारा 109(1)/131/115(2)/333/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पलकटी बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.06.26 को थाना बिनौली पर आवेदक श्री संजीव पुत्र राजवीर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों 1. रोहन उर्फ कन्हैया पुत्र उपेन्द्र निवासी ग्राम जौहड़ी, थाना बिनौली, जनपद बागपत, 2. टोनी पुत्र पप्पू निवासी ग्राम अंगदपुर, थाना बिनौली, जनपद बागपत एवं 3. राजेन्द्र पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम जौहड़ी, थाना बिनौली, जनपद बागपत द्वारा एकराय होकर अपने हाथो में तबल व धादार हथियार लेकर जान से मारने की नियत से हमला कर मारपीट करना जिससे वादी के भाई निखिल को गम्भीर चोट पहुंचाना। वादी का भाई निखिल जान बचाने के लिए मदन शर्मा के घर में घुसा वहां पर भी अभियुक्तों द्वारा गाली-गलोच करते हुए मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 181/26 धारा 109(1)/131/115(2)/333/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थान के मु0अ0सं0 181/26 धारा 109(1)/131/115(2)/333/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त रोहन उर्फ कन्हैया को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक पलकटी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहन उर्फ कन्हैया पुत्र उपेन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण----

- घटना में प्रयुक्त एक पलकटी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1 मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/109(1)/352/324(4)BNS व 3/25/27 आर्मस एक्ट

2. मु0अ0सं0 181/26 धारा 109(1)/131/115(2)/333/352/351(3) बीएनएस

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.श्री संजीव कुमार थाना बिनौली बागपत ।

2. का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली ।